



**कुलसचिव कार्यालय**  
**लखनऊ विश्वविद्यालय**  
**लखनऊ-226007**

पत्रांक .....  
 दिनांक .....

**कार्यालय ज्ञाप**

विश्वविद्यालय में विभिन्न वित्त पोषित संस्थानों द्वारा प्रोजेक्ट, सेमिनार इत्यादि के लिए धनराशि आंवटित की जाती है। वर्तमान समय में कृतिपूर्य प्रक्रिया प्रचलन में है जिसके कारण शोध परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा समय से धनराशि के सदुपयोग एवं शोध गतिविधियों को सम्पन्न करने में अनावश्यक विलम्ब होता है, शोध परियोजनाओं के सुगम संचालन/ क्रियान्वयन हेतु मा० कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गये हैं—

1—सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना

2—रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना

3—DBT, CSIR, UGC इत्यादि

उपरोक्त वित्त पोषित संस्थाओं से शोध कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि जिनमें स्पष्ट रूप से मदवार फॉट वित्त पोषित संस्था द्वारा जारी/आंवटित की गयी है उनमें विश्वविद्यालय स्तर से फॉट का पुनः अनुमोदन कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर मेनपावर/रिसर्च असिस्टेन्ट, रिसर्च एसोसिएट, फील्ड आफोसर इत्यादि की नियुक्ति की जानी है अथवा उपकरणों को क्रय किया जाना है, इस हेतु प्रधान अन्वेषक सक्षम स्तर कुलसचिव/मा० कुलपति जी से अनुमोदन/स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय की कार्यवाही करेंगे।

जिन परियोजनाओं में एक मुश्त धनराशि का आंवटन प्राप्त होता है, उन परियोजनाओं में मदवार फॉट का आंवटन तथा मेनपावर, रिसर्च असिस्टेन्ट, रिसर्च एसोसिएट तथा उपकरण जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय सक्षम स्तर कुलसचिव महोदय/मा० कुलपति जी से अनुमोदन/स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

जिन परियोजनाओं में ओवरहेड की धनराशि सुस्पष्ट रूप से विनिहित/निर्धारित है वहाँ पर नियमानुसार अंश वित्त कार्यालय सक्षम स्वीकृति से विश्वविद्यालय अंश की धनराशि सम्बन्धित खाते में हस्तान्तरित कर लेगा।

भवदीय,

(संजय मेधावी)

कुलसचिव

संख्या P/16829-34      दिनांक 05/09/2022

प्रतिलिपि—निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1—निजी सचिव, कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।

2—समस्त संकायाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

3—अधिकारी, शोध, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

4—समस्त विभागाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

5—वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

6—इंचार्ज वेबसाइट, ल०१०१०१० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का काट करें।

कुलसचिव